महत्वपूर्ण एवं खास

प्रियंका गांधी के फोन पर सीएम बघेल ने आक्सीजन भेजा 16 टन

रायपुर/नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण लगातार लोगों को डरा रहा है। शहर में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन हासिल करने के लिए घंटों लाइनें लगी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से टेलीफोन के माध्यम से बात की है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। भूपेश बघेल ने लिखा- श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा फोन पर सूचना मिलने के उपरांत लखनऊ में कोरोना के मरीज़ों के उपचार में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिये एक टैंकर ऑक्सीजन की तत्काल व्यवस्था कर उसे लखनऊ के लिये रवाना कर दिया है।

अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

जशपुर (आरएनएस)। फरसाबहार और पंपशाला के मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल में सवार युवक ट्रक के चपेट में आ जाने से एक कि घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।जबकि उसके साथी युवक को हल्की चोट लगी है।घटना शाम साढ़े 11 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम विनय बंजारा पिता मुन्ना बंजारा उम्र 17 वर्ष जबकि घायल दूसरा युवक डमरू बंजारा पिता जीवन बंजारा 27 वर्ष बताई जा रही है। घायल युवक डमरू बंजारा ने प्रत्यक्षदर्शियों को बताया कि वे दोनों किसी काम से तपकरा गये थे और वहां से काम निपटा कर वापस कोतबा लौट रहे थे कि हा 4 फरसाबहार के पानबहार बस्ती के मे रोड में विपरीत दिशा से आ रही अज्ञात ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी और दोनों युवक इसके चपेट में आ गये।जिसमे एक कि घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल है।बताया जा रहा है कि मृतक विनय बंजारा एकलौता घर का चिराग था।और इस सड़क हादसे में उसकी मौत पर परिवार जनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

बीएसएफ कैम्प में नक्सलियों ने की फायरिंग

कांकेर (आरएनएस)। जिले के थाना कोयलीबेडा अंतर्गत बीएसएफ कैम्प कामतेडा के पास नदी के किनारे से नक्सलियों द्वारा बीती रात्रि लगभग 8.30 बजे फायरिंग की गई। कैम्प मे सतर्क बीएसएफ एवं डीआरजी के जवानों द्वारा तत्काल जवाबी कार्यवाही करते हुये फायरिंग की गई। लगभग आधे घन्टे चली फायरिंग के बाद नक्सली अंधेरा होने व जंगल का फायदा उठाकर भाग गये। कैम्प के सभी जवान सुरक्षित है। इस गोलीबारी से नक्सलियों को हुई क्षति के सम्बन्ध मे जानकारी लेने हेतु आसपास के क्षेत्र के इलाके मे सर्चिंग की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू, चालू वर्ष में 16.71 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16 लाख 71 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख

आदिवासी-वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा और इसके संग्रहणकाल माह मई तथा जून में दो माह के भीतर संग्राहकों को 668 करोड़ रूपए की राशि के संग्रहण पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने हाल ही में जिलेवार कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में ली गई समीक्षा के दौरान निर्देशित किया था कि राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण कार्य को भी निरंतर जारी रखा जाए, ताकि जरूरतमंदों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े और उनकी अतिरिक्त आमदनी भी सुनिश्चित हो। इनमें लघु वनोपजों के संग्रहण के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन तथा आवश्यक सावधानियां का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी को सभी वन मंडलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दंतेवाड़ा तथा सुकमा वन मंडल (जिला यूनियन) के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य चालू है, जो माह मई के प्रथम सप्ताह तक सभी 31 जिला यूनियनों में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक की राशि का हस्तांतरण उनके बैंक खाते में सीधे ऑनलाईन के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष राज्य के 31 जिला यूनियनों में 954 लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता अनुमानित है जिसमें से 775 लाटों की मात्रा 13.481 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय औसत दर 6609 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से राशि 890.97 करोड़ रूपए में किया गया है, जो कि संग्रहण वर्ष 2020 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक मात्रा एवं 56 प्रतिशत अधिक मूल्य में विक्रय किया गया है। शेष 179 लाट की मात्रा 3.236 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण किया जाएगा। इसी तरह अपर प्रबंध संचालक श्री एस.एस. बजाज ने बताया कि राज्य के जिला यूनियन बीजापुर, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं धरमजयगढ़ के सम्पूर्ण लाटों का अग्रित विक्रय हो चुका है। जिन जिला यूनियनों में सबसे ज्यादा विभागीय संग्रहण होना है उनमें बलरामपुर, सुकमा, जगदलपुर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, पश्चिम भानुप्रतापपुर शामिल है। बलरामपुर जिला यूनियन में 85 हजार 100 मानक बोरा सर्वाधिक विभागीय संग्रहण तथा दूसरे नम्बर में केशकाल जिला यूनियन में जहां 34 हजार 600 मानक बोरा का विभागीय संग्रहण होगा।

मुरहापदर से 3 नक्सली एवं सोनपुर से एक नक्सली सहयोगी गिरफ्तार

नारायणपुर (आरएनएस)। जिला बल, छसबल, एसटीएफ, आईटीबीपी, द्वारा क्षेत्र में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान के क्रम में नारायणपुर से डीआरजी का बल नक्सल गश्त सर्चिंग पर ग्राम मुरहापदर की ओर रवाना हुआ था। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान मुरहापदर से 03 नक्सलियों कोसाराम ध्रुव पिता स्व. लखमा ध्रुव उम्र 35 वर्ष जाति माड़िया साकिन मुरहापदर थाना सोनपुर मुरहापदर जनताना सरकार अध्यक्ष, सोमडुराम उर्फ सोमारू पोयाम पिता स्व. आयतु राम उम्र 30 वर्ष जाति माड़िया साकिन भट्टबेड़ा थाना कुरूषनार भट्बेड़ा जनताना सरकार अध्यक्ष एवं बुधुराम उसेण्डी पिता स्व. बण्डे उसेण्डी उम्र 35 वर्ष जाति माड़िया साकिन मुरहापदर थाना सोनपुर कुदंला जनताना सरकार उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों द्वारा 05 मार्च 2021 को कोहकामेटा से आरओपी ड्यूटी पर निकली पुलिस पार्टी पर वापसी के दौरान ग्राम कोहकामेटा व हिककाड़ के मध्य तालाब के पास बम विस्फोट करने की घटना जिसमें आईटीबीपी का 01 जवान शहीद हो गया था, में शामिल थे। जिन्हे कार्यवाही के बाद आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसी क्रम में थाना सोनपुर से जिला बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त पुलिस पार्टी द्वारा सोनपुर में मोबाईल चेक पोस्ट लगाकर जांच की कार्यवाही की जा रही थी। जांच के दौरान फागु उर्फ राजू कुमेटी पिता कटीराम उम्र 45 वर्ष जाति माड़िया साकिन घोटुलपारा कुदंला थाना कोहकामेटा (नक्सली सहयोगी) द्वारा झोला में बिजली वायर 01 बण्डल तथा 10 नग बैटरी सेल रखा हुआ था।

फर्जी नक्सली बनकर एक व्यक्ति से 92 हजार रूपये की उगाही करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पीपरछेड़ी थाना क्षेत्रअंतर्गत ग्राम कोपेकसा में एक फर्जी नक्सली बनकर एक एक व्यक्ति से पिस्टल दिखाकर किश्तों में 92 हजार रूपये की उगाही करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोपेकसा निवासी एक प्रार्थी ने पीपरछेड़ी थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति दवाई बेचने की बात करते हुए पहले उससे उसका नाम पता पूछ लिया और घर आकर पिस्टल दिखाकर इनके बेटे और बेटी को अपने पार्टी में ले जाने की धमकी देने लगा जिस पर प्रार्थी के द्वारा मना करने पर इनके बेटे और बेटी को पार्टी में न ले जाने की एवज में रकम उगाही करने लगा, जिस पर प्रार्थी भय से किस्त में 30 हजार, 35 हजार तथा 27 हजार कुल 92 हजार रुपये आरोपी को दिये। प्रार्थी की शिकायत के बाद जिला पुलिस के आला अधिकारी ने आरोपी को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की, जिसके बाद आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम विष्णु क्षत्रि पिता जीतू क्षत्रिय 32 साल निवासी नवापारा जिला महासमुंद बताते हुए जुर्म कबूल किया और बताया कि वो खुद को नक्सली बताकर पिस्टल दिखाकर प्रार्थी से 92 हजार रुपये की उगाही की है। आरोपी के पास से पुलिस ने 01 नग पिस्टल, 01 नग नक्सली वर्दी, 01 नग पोच, 01 नग टोपी तथा 01 हजार रुपये नगदी रकम बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सउनि पीताम्बर प्रधान, प्र.आर. लाखेश्वर निषाद, रामेश्वर महिलांगे, आर. कुलीप ठाकुर, महताब अहमद, संतोष जांगड़े की सराहनीय भूमिका रही।

रेमडेसीविर और ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था में आया सुधार

रायपुर (आरएनएस)। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ,संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड और रेमडीसिवर इंजेक्शन आपूर्ति के लिए राज्य नोडल अधिकारी श्री हिमशिखर गुप्ता ने आज रायपुर जिले के निजी हॉस्पिटल के संचालकों से बातचीत की।

बैठक में बताया गया कि रायपुर जिले में रेमडेसीविर और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, इसमें निरंतर सुधार आ रहा है और बहुत जल्द और अधिक सुधार आने की संभावना है । राज्य का कोटा 48 हजार से बढ़कर 75 हजार हो गया है । इसी तरह मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई में भी काफी सुधार आया है।

बैठक में निजी चिकित्सालयों के संचालकों से अनुरोध किया गया कि उनके चिकित्सालय में भर्ती कोरोना मरीजों तथा खाली बेड की जानकारी को पोर्टल के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहे, अगर अनुमति से भी अधिक मरीज चिकित्सालय में भर्ती है या भर्ती करने की जरूरत है , तो इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित कर अनुमति ले, जिससे जरूरत के अनुसार उन्हें रेमडीसीवर और ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्थित रूप से हो सके।

बैठक के प्रारंभ में श्री नीरज बंसोड ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आयुष्मान कार्ड के साथ-साथ अन्य करोना मरीजों के लिए सामान्य ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू बैड के रेट निर्धारित किए हैं। ये रेट सुटेबल है और आई एम ए जैसे संस्थाओं से विचार- विमर्श के बाद तय किये गये है लेकिन अभी भी कुछ चिकित्सालयों से मरीजों से अधिक रेट लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है । इसी तरह एंबुलेंस के माध्यम से भी अधिक पैसों की मांग करने और बिल भुगतान नहीं होने की स्थिति में डेड बॉडी को रोकने जैसी शिकायतें भी मिली है।

उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए राज्य में टीम भी बनाई गई है। वर्तमान समय में मोबाइल आदि के माध्यम से ऐसी शिकायतें वीडियो आदि के माध्यम से भी की जाती है।

उन्होंने बताया कि रेनडिसीवर इंजेक्शन का उपयोग डे केयर और ओपीडी के मरीजों को नहीं करना है लेकिन इसके बावजूद कई डॉक्टर इसका प्रिसक्रिप्शन लिख रहे हैं।उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज रायपुर में इस संबंध में अच्छी व्यवस्था की गई है । सीनियर डाक्टर द्वारा मरीज के कंडीशन के अनुसार रेमडिसीविर इंजेक्शन की मांग का आकलन किया जाता है ,उसके बाद ही यह दवाई दी जाती है ।

दो लाख के इनामी सहित तीन नक्सली गिरफ्तार

सुकमा (आरएनएस)। जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सुरक्षाबल के जवानों ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो लाख के इनामी नक्सली के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तोंगपाल थाने से जिला बल और सीआरपीएफ 227 की सयुक्त पार्टी सूचना पर सर्चिंग के लिए प्रतापगिरी और कोलेमकोंटा की पहाड़ियों के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच कुछ संदिग्ध जवानों का पीछा कर रहे थे, जब घेराबंदी की गई तो एक संदिग्ध पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपनी पहचान मुया उर्फ मुकेश आंध्र-ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी सेक्शन ए सदस्य के रूप में हुई। सरकार ने नक्सली मुकेश पर दो लाख का इनाम घोषित है। गिरफ्तार नक्सली मुया उर्फ मुकेश के पास से नक्सली वर्दी, जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, 303 रायफल जिंदा कारतूस समेत काफी सामग्री बरामद की गई है। वहीं पिछले कई वर्षों से नक्सल संगठन के लिए लिए कुकर बम और बूबी ट्रेप लगाने का काम करता था।

पेज 4 का शेष

रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 6 मई तक रहेगा कंटेनमेंट जोन...

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल मेडिकल इमरजेन्सी/वैक्सीनेशन से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, होम डिलीवरी/ एलपीजी, परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/ अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल.प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेन्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट)मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक/ सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/ सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे।उपरोक्त अवधि के दौरान को मॉर्बिड/ गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धात अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक शाखाएँ प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस/ केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/ लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/ एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/ पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण),कमान्डेट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे से लागू होगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धान्तिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU